न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 618 / 2023

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. निकुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 26/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई है जिनकी संयुक्त खाता की कृषि भूमि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के ख0न0 89 की 6.323 हैक्ट तथा रोही मौजा ललानाबाए उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 95 के ख0न0 22 की 4.130 हैक्ट भूमि, ख0न0 141 की 5.653 हैक्ट, ख0न0 144 की 3.149 हैक्ट, ख0न0 257 की 1.8330 हैक्ट भूमि कुल 14.770 हैक्ट खातेदारी कृषि भूमि है।

उक्त खातेदारी भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 की बहिब की थी जिसका खाता विभाजन एवं लगान आज से करीब 10 वर्ष पूर्व किया जा चुका था तथा हल्का पटवारी एवं तहसीलदार नोहर से मुताबिक हक व हिस्सा किस्म भूमि के राजीनामा द्वारा करवा लिया गया था जिसके मुताबिक रोही मौजा ललानाबास उतरादा की भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सही अंकन कर दिया किन्तु रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर का राजस्व रिकार्ड में मुताबिक राजीनामा के सही दर्ज नही किया राजीनामा के मुताबिक रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के ख0न0 89 की कुल 6.323 हैक्ट भूमि की पूर्वी पासा की 2.4025 हैक्ट भूमि व पश्चिमी पासा की 0.759 हैक्ट कुल 3.1615 हैक्ट भूमि निकुराम प्रतिवादी की थी किन्तु प्रतिवादी स0 2 ने नामान्तरण करते वक्त ख0न0 89 को दो भागो में बांट कर बराबर दर्ज कर दी जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होती है। अतः न्यायालय से पूर्व में हुए मुताबिक बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी [illegible] य[illegible] बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीया को कई दफा कहा [illegible] वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ [illegible] तक आजकल आ[illegible] करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 5 में दुरूस्त कर ख0न0 89/1 की 2.4025 हैक्ट भूमि तथा नया ख0न0 89/2 की पश्चिम तरफ बनाया जाकर ख0न0 89/3 की 0.7590 हैक्ट भूमि कुल 3.1615 हैक्ट भूमि तथा ख0न0 89/2 को दुरूस्त कर वादी की पश्चिमी तरफ वनाया जाकर प्रतिवादी स0 1 की 3.1615 हैक्ट भूमि दर्ज की जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीया का इकबाल जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि का हम पक्षकारान द्वारा काफी समय पूर्व विभाजन करवया गया था। हल्का पटवारी एवं तहसीलदार नोहर से मुताबिक हक व हिस्सा किस्म भूमि के राजीनामा द्वारा करवा लिया गया था जिसके मुताबिक रोही मौजा ललानाबास उतरादा की भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सही अंकन कर दिया किन्तु रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर का राजस्व रिकार्ड में मुताबिक राजीनामा के सही दर्ज नही किया राजीनामा के मुताबिक रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के ख0न0 89 की कुल 6.323 हैक्ट भूमि की पूर्वी पासा की 2.4025 हैक्ट भूमि व पश्चिमी पासा की 0.759 हैक्ट कुल 3.1615 हैक्ट भूमि निकुराम प्रतिवादी की थी किन्तु प्रतिवादी स0 2 ने नामान्तरण करते वक्त ख0न0 89 को दो भागो में बांट कर बराबर दर्ज कर दी जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होती है। अतः न्यायालय से पूर्व में हुए मुताबिक बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 65/65 की कुल 3.1615 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के एवं रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 5/5 की कुल 3.1615 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति से लगभग 10 वर्ष पूर्व खाता विभाजन किया गया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में मुताबिक राजीनामा दर्ज नही हुआ है अतः मुताबिक राजीनामा/सहमति के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। वादी के उक्त कथनों एव वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी स0 1 द्वारा इकबाल पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी स0 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 5 में दुरूस्त कर ख0न0 89/1 की 2.4025 हैक्ट भूमि तथा नया ख0न0 89/2 के पश्चिम तरफ बनाया जाकर ख0न0 89/3 की 0.7590 हैक्ट भूमि कुल 3.1615 हैक्ट भूमि तथा ख0न0 89/2 को दुरूस्त कर वादी की पश्चिमी तरफ बनाया जाकर प्रतिवादी स0 1 की 3.1615 हैक्ट भूमि दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 618 / 2023

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. निकुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 618 सन 2023 निर्णय दिनांक 26/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 5 में दुरूस्त कर ख0न0 89 / 1 की 2.4025 हैक्ट भूमि तथा नया ख0न0 89 / 2 के पश्चिम तरफ बनाया जाकर ख0न0 89 / 3 की 0.7590 हैक्ट भूमि कुल 3.1615 हैक्ट भूमि तथा ख0न0 89 / 2 को दुरूस्त कर वादी की पश्चिमी तरफ बनाया जाकर प्रतिवादी स0 1 की 3.1615 हैक्ट भूमि दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:10 IST
Reason: SelfAttested